संख्या 70 / VI-I / 2009–4(10) / 2007

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 4 फरवरी, 2009

विषयः– 'अपुनि बोलि अपुनि भाष' प्रतिभा खोज गायन एवं हंसनॉकि बहार प्रतियोगिता सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2030 / सं0नि0उ0 / दो--3 / 2008--09 दिनांक 16 जनवरी, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री कृष्णानन्द उप्रेती लोक उत्थान संस्था हुडेती, पिथौरागढ को "अपुनि बोलि अपुनि भाष' प्रतिभा खोज गायन एवं हंसनॉकि बहार प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू0 शासनादेश संख्या– 208 / VI-I / 2008 दिनांक 8–5–2008 को आपके निवर्तन में रखी हुई धनराशि से रू0 1.80 लाख (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) मात्र की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या– 105 / VI-I / 2007–4(4) / 2007 दिनांक 5--3--2008 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय समिति रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन / सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशो में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....(2)

4– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

5– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतियाँ जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

6– उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

7– संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम में लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–03–स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वहन किया जायेगा।

9– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–710/(पी)/XXXVII(3)/2009 दिनांक 02 फरवरी, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7– श्री जनार्दन उप्रेती, अध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री कृष्णानन्द अप्रेती, लोक उत्थान संस्था, हुडेती, पिथौरागढ।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।